

हिन्दी अकादमी, दिल्ली

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

संस्थागत सहयोग के नियम एवं शर्तें

1. केवल दिल्ली में पंजीकृत संस्थाओं के प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा। संस्था का पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. उसी संस्था को सहयोग देने पर विचार किया जायेगा जो कम से कम कार्यक्रम तिथि से 15 दिन पूर्व अपना प्रस्ताव अकादमी को प्रेषित करेगी। (माननीय उपराज्यपाल महोदय/मुख्यमंत्री, दिल्ली/मंत्री, दिल्ली सरकार/विधायकों/संसद सदस्यों के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है।)
3. कार्यक्रम के बोर्ड/बैनर पर हिन्दी अकादमी के सहयोग से आयोजित करने का उल्लेख एवं मंच से भी आयोजकों द्वारा बार-बार हिन्दी अकादमी के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किये जाने का उल्लेख करना होगा। इस बात की पुष्टि हिन्दी अकादमी के प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी। यदि शर्त का उल्लंघन होगा तो भविष्य में संस्था को कोई कार्यक्रम नहीं दिया जायेगा।
4. कवि-सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम व संगोष्ठी के आयोजन हेतु हिन्दी अकादमी स्वयं कवियों, वक्ताओं एवं सांस्कृतिक दलों का चयन करके भेजेगी। इस संबंध में अकादमी का निर्णय अंतिम होगा।
5. कवि-सम्मेलन व संगोष्ठी के लिए पांच कवि या पांच वक्ता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक सांस्कृतिक दल ही अकादमी द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। जिनका भुगतान अकादमी नीति अनुसार करेगी। कवियों में दो कवि स्थानीय (रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली के) तथा दो कवि दिल्ली के बाहर के हो सकते हैं। दिल्ली के बाहर के कवियों को कोई किराया भत्ता मान्य नहीं है।
6. एक संस्था को पूरे वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही संस्थागत सहयोग प्रदान किया जाएगा।
7. जो संस्था संपर्क के लिए मोबाइल नम्बर और ई-मेल पता उपलब्ध नहीं करवाएगी उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. किसी भी महापुरुष की जयंती की तिथि के दो दिन पूर्व और दो दिन पश्चात तक ही आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सहयोग दिये जाने पर विचार किया जाएगा।
9. कार्यक्रम की समाप्ति के तीन दिन के अंदर फोटो/वीडियो संस्था द्वारा अकादमी कार्यालय में भेजा जाना अनिवार्य है। कम से कम 25 फोटो (कवियों, मंच व उपस्थित श्रोताओं के) भेजा जाना अनिवार्य है, नहीं भेजने पर आगामी वर्षों में कार्यक्रम नहीं दिया जाएगा।

सिद्धा ११/४



10. जो-संस्था उपरोक्त नियमों की अवहेलना करेगी। उसको भविष्य में संस्थागत सहयोग देने पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. किसी भी संस्था को सहयोग देने का अधिकार माननीय अध्यक्ष/साहित्यिक-समिति/सचिव, हिन्दी अकादमी, दिल्ली का होगा।

निदेश ॥॥

